रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 1972/फाल्गुन 24, 1893
No. 144] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 1972/PHALGUNA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1972

एस० ओ० 191 (अ).—भारत के राजपत्र, दिनांक 6-1-72 के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशित अधिसूचना का० आ० सं० 18 (अ) में निम्नलिखित संशोधन किये जाएं :—

(1) पृष्ठ सं० 30 की आठवीं पंक्ति में "कारपोरेशन" शब्द के बाद लगे (,) को हटा दिया जायेगा।

(2) उसी पृष्ठ पर अन्तिम पंक्ति में अन्तिम शब्द से पहले "अवर" को "अपर" पढ़ा जायेगा।

[सं० 60/फा० सं० 147 (6) 71-टी० पी० एल०]

आर० डी० शाह, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972